कार्यालय प्राचार्य वीर नागुल दोरला शासकीय महाविद्यालय आवापल्ली, जिला – बीजापुर (छ.ग.)

क्र./ 18 /प्राचार्य/स्था./2024 आवापल्ली दिनांक, 13/07/2024

।। अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन का प्रारूप।।

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक/574/126/आउशि/राज.स्था./2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.07.2024 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्र./एफ 3–54/स्था./2020/38–1, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20.06.2024, और पत्र क्रमांक/77/नि.स./स./उशि./2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 12.07.2024 के अनुसार **वीर नांगुल दोरला शासकीय महाविद्यालय आवापल्ली, जिला बीजापुर (छ.ग.)** में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हतादारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीडा अधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीडा अधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक /ग्रंथपाल सहायक/क्रीड़ा सहायक हेतु आवदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण – पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक **27.07.2024** को सांय **5:30** बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।

विषय/पदों का विवरण :–

क्र	विषय	सहा. प्राध्यापक
1	गणित	01
2	भौतिकशास्त्र	01
3	अंग्रेजी	01
4	हिन्दी	01
5	वाणिज्य	02
6	राजनिति शास्त्र	01
7	समाजशास्त्र	01
8	अर्थशास्त्र	01

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीडा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथ उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथपाल सहायक/क्रीडा सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यून्तम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

2. स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिये बिन्दु–1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य – विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

आयु सीमा :– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथपाल सहायक/क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।

छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

टीपः– 1. संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।
2. ऑनलाईन माध्यम से भेजे गये आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. सत्र 2024–25 में विद्यार्थियों के प्रवेश लेने पर ही उपरोक्त विज्ञापित पदों पर नियुक्ति दी जावेगी।

शर्तें :–

01. आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर सेट/नेट, एम.फिल/पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

02. दिनांक **27.07.2024** तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नही किया जावेगा। वर्तमान आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यक्तानुसार परिवर्तन संभावित होगा।

03. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनाक **30.07.2024** को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाईट नहीं होने पर संबंधित जिले की अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाईट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाईट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।

05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि **02.08.2024** तक होगी।

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक **03.08.2024** को किया जावेगा अवलोकन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जावेगा।

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नही है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाऐ समाप्त नहीं की गई है।

08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नही किया जाएगा।

09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नही होगा।

अतिथि व्यवस्था के अन्तर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–

	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40–50 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40–50 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
2	चार कालखडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41,600/– प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– (30,000/– प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/–	350/–
4	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50,000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1400/– (35,000/– प्रतिमाह अधिकतम)
(स) दैनिक मानदेय			
	विवरण	अतिथि ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि क्रीडा सहायक
5	दैनिक मानदेय (प्रतिदिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600/– प्रतिदिन (40,000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– प्रतिदिन (30,000/– प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, वीर नांगुल दोरला शासकीय महाविद्यालय आवापल्ली, जिला बीजापुर (छ.ग.) एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किये गये अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अन्तर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।

13. संस्थान में इस व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाये रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के साथ – साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियों, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैंक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सेवाऐं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

PRINCIPAL
VEER NANGUL DORLA
GOVT. COLLEGE AWAPALLI
DISTT.-BIJAPUR (C.G.)
13/07/24

शहीद ... महा0
आवापल्ली जिला बीजापुर (छ.ग.)